प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर, थानाः–एसीबी सीपीएस जयपुर, वर्ष 2022
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 128/22 दिनांक 12/4/2022
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 7, 7ए
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– 120बी
   (3) अधिनियम .....–..... धारायें :–.....–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें :– .....–.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 221 समय 6:00 PM,
   (ब) अपराध के घटने का दिन :–**सोमवार, दिनांक 11.04.2022, समय 12.04 पी.एम.**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **06.04.2022 समय 08.00 ए.एम.**
4. सूचना की किस्म :– **कम्पयुटराईज्ड टाईप सुदा,**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–**चौकी से बदिश दक्षिण–पश्चिम बफासला करीब 80 कि.मी. दूर।**
   (ब) पता :– **गोयली चौराया जालोर रोड, सिरोही**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं
6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :–
   1. **श्री हरीसिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी सचियाव्जी मार्ग, जावाल पुलिस थाना बरलूट तहसील व जिला सिरोही हाल प्रोपराईटर गुरूकृपा जनरल स्टोर ,नई आबादी गली नं0 02 , जावाल तहसील व जिला सिरोही।**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियों सहित :–
   1.श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री स्व. रामकिशन शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 58 वर्ष निवासी पीतल फेक्ट्री , ताम्बी पेट्रोल पंम्प के सामने , मकान नंबर 111, झोटवाडा रोड जयपुर तहसील व जिला जयपुर हाल ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,सिरोही जिला सिरोही।

   2 श्री विशालसिंह पुत्र श्री मदनसिंह जाति राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी इंद्रा कॉलानी, लक्ष्मीनायायण मार्ग, पिण्डवाडा पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,सिरोही जिला सिरोही हाल जिला प्रशिक्षण केन्द्र सिरोही जिला सिरोही
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–.....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य ट्रेप राशि 17,000/–रू0,
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

सेवामें

श्रीमान् एडिशनल एसपी साहब,
ए0सी0बी0 जालोर

विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मन् हरीसिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी सचियाव्जी मार्ग, जावाल पुलिस थाना बरलूट तहसील व जिला सिरोही का निवेदन इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थी के गुरूकृपा जनरल स्टोर नाम से डेयरी की दुकान नई आबादी गली नं0 02 , जावाल में स्थित है जिसके रजिस्ट्रेशन नं 22220023000387 है श्री विनोद कुमार शर्मा, खाघ सुरक्षा अधिकारी , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,सिरोही मेरे से करीब दस दिन पूर्व मेरे दुकान पर आकर मिले और मुझसे कहा यदि आपने मुझे बंधी नही दी तो मै आपकी डेयरी से दूध व दही के सेम्पल लेकर जब्त कर उसकी मिलावट की रिपोर्ट दूंगा जिससे तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और तुझे जेल होगी। यदि सही रिपोर्ट देनी है तो मुझे हर छः माह में मुझे बंधी के रूप में 22,000(बाईस)हजार रूपये देने पडेंगे। यदि तुने मुझे 22,000 हजार रूपये बंधी के नही दिए तो मै तेरे खिलाफ कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज करवाउंगा। मै मेरी डेयरी पर बिकने वाले दूध,दही व अन्य सामान में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करता हूं।

मैं मेरे जायज कार्य के लिए श्री विनोद कुमार शर्मा, खाघ सुरक्षा अधिकारी , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,सिरोही को रिश्वत नही देना चाहता हूं। उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरा श्री विनोद कुमार शर्मा, खाघ सुरक्षा अधिकारी , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,सिरोही से आपस में कोई लेन देन बकाया नही है एवं न ही कोई आपसी रंजिश है। उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करावें।

सलंग्नः– 1.स्वप्रमाणित आधार कार्ड छायाप्रति।
2. गुरूकृपा जरनल स्टोर का दस्तावेज स्वप्रमाणित।

दिनांक 06.04.2022

इति दिनांक– 06/04/2022
सी.आई राजेन्द्रसिह कार्यवाही करे।एस.डी.
महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,06.04.2022
एस.डी. राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस,06.04.2022
एस.डी. गवाह श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक/11.04.2022
एस.डी. गवाह श्री भंवरलाल कनिष्ठ सहायक/11.04.2022

प्रार्थी
एस.डी. हरीसिंह पुत्र श्री रतनसिंह
जाति राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी
सचियाव्जी मार्ग, जावाल पुलिस थाना
बरलूट तहसील व जिला सिरोही
9352116565

कार्यवाही पुलिस

निवेदन इस प्रकार है कि उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पर दिनांक 06.04.2022 को वक्त 8 ए.एम पर परिवादी श्री हरीसिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी सचियाव्जी मार्ग, जावाल पुलिस थाना बरलूट तहसील व जिला सिरोही मोबाईल नम्बर 9352116565 ने एक टाईप शुदा रिपोर्ट ब्यूरो कार्यालय जालोर पर उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत की कि मुझ प्रार्थी के गुरूकृपा जनरल स्टोर नाम से डेयरी की दुकान नई आबादी गली नं0 02 , जावाल में स्थित है जिसके रजिस्ट्रेशन नं 22220023000387 है श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,सिरोही मेरे से करीब दस दिन पूर्व मेरे

दुकान पर आकर मिले और मुझसे कहा यदि आपने मुझे बंधी नही दी तो मै आपकी डेयरी से दूध व दही के सेम्पल लेकर जब्त कर उसकी मिलावट की रिपोर्ट दूंगा जिससे तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और तुझे जेल होगी। यदि सही रिपोर्ट देनी है तो मुझे हर छः माह में मुझे बंधी के रूप में 22,000(बाईस)हजार रूपये देने पडेंगे। यदि तुने मुझे 22,000 हजार रूपये बंधी के नही दिए .तो मै तेरे खिलाफ कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज करवाउंगा। मै मेरी डेयरी पर बिकने वाले दूध,दही व अन्य सामान में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करता हूं। मैं मेरे जायज कार्य के लिए श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,सिरोही को रिश्वत नही देना चाहता हूं। उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरा श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,सिरोही से आपस में कोई लेन देन बकाया नही है एवं न ही कोई आपसी रंजिश है। उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करावें। पुलिस दरियाफ्त पर परिवादी ने यह टाईपशुदा रिपोर्ट अपने किसी विश्वसनीय ईमित्र से टाईप करवाना बताया तथा उक्त रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर भी होना बताया तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री हरीसिंह ने यह भी बताया कि श्री विनोद शर्मा खाघ सुरक्षा अधिकारी काफी भ्रष्ट प्रवृति के है जो बिना पैसे लिये किसी भी व्यक्ति का जायज काम नही करते है। पैसे नही देने पर लोगो को नाजायज रूप से परेशान करते है तथा जगह बजगह भटकाते रहते है। मैं उनसे मेरे जायज काम के लिये बात करूंगा तो वो मेरे से भी बिना रिश्वत लिये काम नही करेगें। श्री विनोद शर्मा ,खाघ सुरक्षा अधिकारी मुझे सिरोही जिला मुख्यालय स्थित सीएमएचओ आफिस परिसर में उनके कार्यालय कक्ष पर मेरे से रिश्वत संबधी वार्ता कर लेगें। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री हरीसिंह से उनका परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात दिनांक 06.04.2022 को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 श्री गुलाबसिंह नं0 140 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय कक्ष में बुलाकर मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्ड मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री हरीसिंह से उसका आपस में परस्पर परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर श्री गुलाबसिंह कानि0 को सुपूर्द कर हिदायत दी की कि परिवादी श्री हरीसिंह के साथ सिरोही जिला मुख्यालय स्थित सीएमएचओ आफिस जाकर श्री विनोद कुमार शर्मा ,खाघ सुरक्षा अधिकारी , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,सिरोही से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर लावे। इत्यादी हिदायत देकर परिवादी श्री हरीसिंह तथा श्री गुलाबसिंह कानि0 नं. 140 को सिरोही के लिऐ रवाना किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 06.04.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुये श्री गुलाबसिंह कानि0 हमरा परिवादी श्री हरीसिंह के ब्यूरो कार्यालय में मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये। श्री गुलाबसिंह कानि0 ने डिजीटल टेप रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुऐ बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार आज दिनांक 06.04.2022 को ब्यूरो कार्यालय से परिवादी हरीसिंह के साथ रवाना होकर करीबन 11.15 ए0एम0 पर सिरोही जिला मुख्यालय स्थित सीएमएचओ आफिस के पास पहुँचा। मन् कानि0 ने परिवादी श्री हरीसिंह को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर श्री विनोद शर्मा विनोद कुमार शर्मा, खाघ सुरक्षा अधिकारी , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,सिरोही से रिश्वती राशि मांग सम्बंधी वार्तालाप करने हेतु रवाना किया गया तथा मन् कानि. आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में व्यस्त हुआ। तत्पश्चात् कुछ समय बाद परिवादी श्री हरीसिंह मेरे पास आकर मन् कानि. को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसको स्वीच आफॅ कर मैने अपने कब्जे में रखा। परिवादी श्री हरीसिंह ने बताया कि श्री विनोद कुमार शर्मा,खाघ सुरक्षा अधिकारी मुझे कार्यालय में उपस्थित मिले। उन्होने मेरे से बंधी के रूप में रिश्वत के 22 हजार रूपये लाने हेतु कहा है मेरे द्वारा चार दिन का समय मांगा गया है मै जब भी बंधी के रूप में रिश्वत के 22 हजार रूपये लेकर जाउंगा तो वो मुझसे रूपये ले लेंगे। ताबाद मन् कानि. मय कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर व परिवादी श्री हरीसिंह के परिवादी के निजी वाहन से

रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित आये है। उपस्थित परिवादी ने भी कानि0 श्री गुलाबसिंह के कथनो की ताईद की। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस ने डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन कर रिवर्स कर सुना तो कानि0 श्री गुलाबसिंह एंव परिवादी श्री हरीसिंह के कथनो की ताईद होते हुए रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी श्री हरीसिंह ने यह भी बताया है कि श्री विनोद शर्मा ,खाघ सुरक्षा अधिकारी को बंधी के रूप में रिश्वत में दी जाने वाली की व्यस्था दिनांक 11.04.2022 तक व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय जालोर आपके समक्ष उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर अग्रिम ट्रेप का आयोजन दिनांक 11.04.2022 को करने निर्णय लिया गया। ट्रेप कार्यवाही दिनांक 11.04.2022 को किया जाना सुनिश्चत होने से टेप रिकार्डर जिसमें रिश्वती राशि मांग की वार्तालाप रिकार्ड को सुरक्षित मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे में रखा। जिसकी आईन्दा गवाहन एवं परिवादी के रूबरू ट्रांसकिप्टस रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं सीडीया तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री हरीसिह को हिदायत दी कि आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा रिश्वत में मांगी गई राशि 22 हजार रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 11.04.2022 को ब्यूरो कार्यालय जालोर पर उपस्थित आवें इत्यादि हिदायत देकर परिवादी श्री हरीसिंह को रूखस्त किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 10.04.2022 को परिवादी श्री हरीसिंह ने मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस, को जरिये दूरभाष सूचित किया की श्री विनोद कुमार शर्मा, खाघ सुरक्षा अधिकारी, को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 22 हजार की व्यवस्था हो गई है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री हरीसिंह को हिदायत की कि कल प्रातः 6.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय जालोर मय आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के उपस्थित आवे। दिनांक 11.04.2022 को प्रातः जल्दी ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने से मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री विक्रमसिंह कानि0 नं.556 को विकास अधिकारी, पंचायत सम़िति जालोर से वार्ता कर दिनांक 11.04.2022 को प्रातः गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान उपलब्ध करवाने हेतु पाबंध किया गया एवं ब्यूरो चौकी के स्टाफ को भी प्रातः 6.30 ए0एम0 पर उपस्थित होने हेतु पाबंध किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 11.04.2022 को पूर्व पाबंध सुदा परिवादी श्री हरीसिंह ब्यूरो चौकी पर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया एवं बताया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाघ सुरक्षा अधिकारी के कहे अनुसार मांगी गई रिश्वत राशि 22 हजार रुपये साथ लेकर आया हूँ। इसी दौरान पूर्व से पाबंध सुदा दो सरकारी गवाह ब्यूरो चौकी जालोर पर उपस्थित आये एवं बताया कि श्रीमान् विकास अधिकारी , पंचायत समिति जालोर साहब के टेलीफोनिक वार्ता अनुसार एसीबी की गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह हेतु पाबंध होने पर उपस्थित हुए है, जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय प्राप्त किया गया तो उन्होनें अपना–अपना परिचय क्रमशः श्री भंवरलाल पुत्र श्री हीरकाराम जाति मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी मीनो का वास,नारनावास पुलिस थाना बागरा तहसील व जिला जालोर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय पंचायत समिति, जालोर, मोबाईल नम्बर 9636626986 एवं श्री विनोद कुमार पुत्र श्री सांवलाराम जाति मेघवाल उम्र 28 वर्ष, निवासी रामदेव कॉलोनी, जालोर पुलिस थाना कोतवाली तहसील व जिला जालोर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय पंचायत समिति, जालोर, मोबाईल नम्बर 9001420400 होना बताया। दोनो गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी हरीसिंह का दोनो गवाहान से परस्पर परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढ़ाया गया। दोनो गवाहान ने भी परिवादी से उक्त शिकायत के तथ्यो के सम्बंध में वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। तत्पश्चात दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की।

तत्पश्चात परिवादी श्री हरीसिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी सचियाव्जी मार्ग, जावाल पुलिस थाना बरलूट तहसील व जिला सिरोही को आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा, खाघ सूरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,सिरोही जिला सिरोही को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 22हजार रू0 (अक्षरे बाईस हजार रूपये) प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री हरीसिंह ने आरोपी श्री विनोद शर्मा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के 500–500

रू. के 44 नोट, कुल राशि 22 हजार रू0(अक्षरे बाईस हजार रूपये) मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किय। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर निम्नानुसार है :–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	DW	139074
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	DW	139075
3	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	DW	139076
4	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	DW	139081
5	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	WC	287815
6	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6	CP	235565
7	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	AC	196525
8	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	BU	914180
9	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	GG	263603
10	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	ER	067423
11	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6	FT	181304
12	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2	EN	568607
13	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	AU	419781
14	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	UA	491752
15	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	EU	954453
16	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	PD	599784
17	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	MN	768038
18	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9	FM	075290
19	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6	NV	680280
20	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6	GW	452687
21	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	NF	202667
22	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0	FQ	700710
23	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	TM	237928
24	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	BB	300964
25	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	SM	588207

26	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	GK	969154
27	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	KK	826154
28	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	RR	909285
29	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2	BV	026172
30	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9	CP	863135
31	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2	AC	829429
32	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	BA	750016
33	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	AE	478770
34	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	LK	672251
35	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	VT	071926
36	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	PH	682575
37	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	FB	443596
38	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	PT	850875
39	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	LS	492544
40	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	LS	492545
41	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	LS	492548
42	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	LS	492549
43	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	LS	492550
44	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	CS	894444

श्री मोहनलाल हैड कानि0 नं0 93 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि मंगवाई गई। उपरोक्त सभी नोटो को अखबार पर रखवाये जाकर नोटों पर श्री कालूराम कानि. नं. 477 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री हरीसिंह की जामा तलाशी गवाह श्री विनोद कुमार कनिष्ट सहायक से लिवाई गई तो परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 22 हजार (बाईस हजार)/– रूपयें के नोट श्री कालूराम कानि नं. 477 से ही परिवादी के पहने हुये पेन्ट के बांयी साईड की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह अपनी जेब मे रखे नोटों को हाथ नहीं लगाये तथा श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में श्री विनोद कुमार शर्मा से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर ले। श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखते है अथवा कहॉ छुपाते हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर दों

तीन बार हाथ फेर कर या अपने मोबाईल से मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार कियां। इस रंगहीन घोल में श्री कालूराम कानि0 नं. 477 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर घुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान एवं परिवादी श्री हरींसिंह के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरहा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया एवं परिवादी श्री हरीसिंह के अलावा ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुननें का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री कालूराम कानि.नं0 477 को ब्यूरो जाब्ता कमी होने से ट्रेप कार्यवाही में साथ रखा गया।उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सूपर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से तैयार करवाये जाकर संबधित के हस्ताक्षर करवाये गए।

तत्पश्चात परिवादी श्री हरीसिंह एवं आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा ,खाघ सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के मध्य दिनांक 06.04.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सी.डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों सी.डी. को मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस नें स्वंय की अभिरक्षा में रख जमा ट्रेप बॉक्स की गई।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ0महावीरसिंह राणावत, दोनों गवाहान श्री विनोद कुमार व श्री भंवरलाल परिवादी श्री हरिसिंह, ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री मोहनलाल हैड कानि0 नं. 93, श्री विक्रमसिंह कानि. नं.556, श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140, श्री कालूराम कानि. नं. 477, श्री गोपाल कुमार कानि. नं. 537 ,श्री आदूराम कानि.नं. 142 जरिये राजकीय वाहन आर.जे. 14 यूई 0818 एंव दो निजी वाहन तथा परिवादी श्री हरिसिंह के निजी वाहन के मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड व अन्य आवश्यक सामग्री के रवाना भ्रनिब्यूरो सिरोही से सिरोही को हुआ। स्टाफ की कमी होने से कार्यालय हाजा को तालाबन्द करवाकर चाबी श्री मोहनलाल हैड कानि. नं 93 को सुपुर्द करवाई गई।

तत्पश्चात पैरा उपरोक्त का रवाना सुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान बमुकाम सिरोही में हाईवे पर अवस्थित "बाबा रामदेव होटल" के पास पंहुचा, आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा खाद्य सूचना अधिकारी की मौजूदगी व लेन–देन स्थल के निर्धारण हेतु परिवादी श्री हरिसिंह के मोबाईल नं. 9352116565 से आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा के

मोबाईल नं. 9799174892 पर वक्त 10:42 ए.एम. पर कॉल करवाकर वार्ता करवाई गई एंव वक्त वार्ता परिवादी द्वारा कहा गया कि मैं आबूरोड़ से निकलकर पिण्डवाडा पंहुच गया हूं आपसे कहां मिलना हैं, तो श्री विनोदकुमार शर्मा ने परिवादी से पूछा कि कितने समय में आ जाओगे, तो परिवादी ने कहा कि 15–20 मिनट यानि करीब आधा घण्टा लगेगा। तब आरोपी ने कहा कि आ जाओ, होटल ऐयरलाईन आ जाओ, तब परिवादी ने पुनः क्लीयर करना चाहा तो आरोपी ने कहा कि सिरोही पंहुचकर फोन करना, बता दूंगा। जिस पर उपरोक्त वार्तानुसार पिण्डवाडा से सिरोही पंहुचने में लगने वाले संभावित समय तक इन्तजार कर पुनः एस.ओ. से सम्पर्क करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात वक्त अर्थात वक्त 11:17 ए.एम. पर आरोपी श्री विनोदकुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित श्री विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मोबाईल नं. 9829256896 से परिवादी श्री हरिसिंह के मोबाईल नं. 9352116565 पर कॉल आया, जिसका नाम मय नंबर पूर्व से परिवादी के मोबाईल की कॉन्टेक्ट लिस्ट सेव था, लिहाजा कॉल आते ही परिवादी द्वारा श्री विशालसिंह के संबध में उपरोक्त सूचना से अवगत कराने व तत्समय डिजीटल टेप रिकॉर्डर को ऑन नहीं कर पाने से श्री विशालसिंह का कॉल अटेण्ड नहीं करने की हिदायत की गई व तत्पश्चात वक्त 11:18 ए.एम. पर डिजीटल टेप रिकॉर्डर ऑन कर ऊपर अंकित परिवादी के मोबाईल नं. से विशालसिंह के मोबाईल नं. पर कॉल करवाकर स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई जाकर रिकॉर्डिंग की गई तो श्री विशालसिंह ने परिवादी से पूछा कि कहां हो तब परिवादी ने कहा कि 15–20 मिनट में सिरोही पंहुचने वाला हूं, तो उन्होनें कहा कि पंहुचकर बात करना। इस दौरान वक्त 11:29 से 11:32 ए.एम. तक परिवादी श्री हरिसिंह के मोबाईल नं. 9352116565 से आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा के मोबाईल नं. 9799174892 पर तीन–चार बार कॉल करवाया गया किन्तु आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा खाद्य सूरक्षा अधिकारी द्वारा परिवादी का कोई कॉल अटेण्ड नहीं किया गया एंव अन्तिम दोनों कॉल एस.ओ. द्वारा काटे गये। कि कुछ समय पश्चात वक्त 11:41 ए.एम. पर श्री विशालसिंह का परिवादी के पास कॉल आया व कहा कि कहां हो, तब परिवादी ने कहा कि गोयली चौराहे आया हूं, तब विशालसिंह ने कहा कि मैं मिलूंगा आपसे मैं सिरोही ही हूं। तब परिवादी ने पूछा साहब कहां हैं आपके साथ ही हैं क्या ? जिस पर विशालसिंह ने कहा कि साहब ने मुझे फोन किया था कि मैं मीटिंग में हूं आप जाकर मिल लेना, तब परिवादी ने कहा कि मेरी बात हुई थी मुझे सिरोही पंहुच फोन करने का साहब ने बोला हैं, जिस पर विशालसिंह ने कहा कि वे काम में बिजी हैं आप उन्हें फोन मत करना मैं आ रहा हूं। तब परिवादी ने कहा कि ठीक हैं। उपरोक्त वार्ता एंव एस.ओ. द्वारा परिवादी की कॉल कट करने से आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि लेनदेन हेतु श्री विशालसिंह को अधिकृत करना स्पष्ट हुआ, लिहाजा रिश्वती राशि लेन–देन परिवादी एंव विशालसिंह के दरम्यिान करवाने का निर्णय लिया जाकर वक्त 11:50 ए.एम. पर परिवादी से विशालसिंह को कॉल करवाने पर परिवादी ने कहा कि हैलो कहां हो, तब विशालसिंह ने कहा कि मैं यहीं नाश्ता वाली लॉरी के पास हूं, तब परिवादी ने कहा कि मैं ठेके के पास एम.आर.एफ. टायर वाले के पास हूं, तब विशालसिंह ने परिवादी से कहा कि यहीं आ जाओं। जिस पर परिवादी को डिजीटल टेप रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द कर सह–आरोपी श्री विशालसिंह से सम्पर्क करने हेतु रवाना किया। मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष समस्त हमराहियान परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए।

तत्पश्चात गोयली चौराहा सिरोही पर जालोर रोड़ के बांयी तरफ स्थित बजोबा वडापाव की दुकान के सामने एक अन्य जीन्स–टीशर्ट पहने व्यक्ति के साथ खड़े परिवादी श्री हरिसिंह पुत्र श्री रतनसिंह, जाति राजपूत, उम्र 36 वर्ष, निवासी सचियाव्जी मार्ग, जावाल, पुलिस थाना बरलूट, तहसील व जिला सिरोही, हाल प्रोपराईटर गुरूकृपा जनरल स्टोर, जावाल ने वक्त 12:04 पी.एम. पर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो–तीन बार हाथ फिराकर रिश्वत राशि लेन–देन होने की सूचना दी। जिस पर मन् राजेन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक मय दोनों गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता के परिवादी के पास पंहुच उनसे पूर्व में दिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वयं की अभिरक्षा में लिया, कि परिवादी ने अपने पास खड़े जीन्स–टीशर्ट पहने व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा खाद्य सूरक्षा अधिकारी के कार्यालय में लगे हुए हैं, जिन्होनें आरोपी श्री

विनोदकुमार शर्मा खाद्य सूरक्षा अधिकारी के कहने पर उनके लिए मेरे से मांग कर अभी–अभी 17000 रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई जींस पेंट के पीछे की बांयीं जेब में रखे हैं। जिस पर उक्त श्री विशालसिंह को मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री विशालसिंह पुत्र श्री मदनसिंह, जाति राजपूत, उम्र 32 वर्ष, निवासी इंद्रा कॉलानी, लक्ष्मीनारायण मार्ग, पिण्डवाडा, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला सिरोही, हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,सिरोही जिला सिरोही, मोबाईल नं. 9829256896 के रूप में दिया। जिस पर श्री विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को परिवादी श्री हरिसिंह को पहचानने एंव अभी कुछ देर पहले परिवादी से 17000 रू. प्राप्त कर अपने पास रखने के बारे में पूछने पर उसने बताया कि इसी माह मेरा स्थानान्तरण होने पर मैंने 10–12 दिन पूर्व जिला प्रशिक्षण केन्द्र सिरोही में डियूटी ज्वाईन की थी, इससे पूर्व मैं श्रीमान सीएमएचओ साहब द्वारा जारी कार्यालय आदेशानुसार माह जनवरी से मार्च/2022 तक श्री विनोदकुमार शर्मा खाद्य निरीक्षक के साथ फिल्ड डियूटी हेतु अटेच था, इसलिए परिवादी श्री हरिसिंह को पूर्व से जानता था, ये ग्राम जावाल में गुरूकृपा नामक डेयरी चलाते हैं एंव फिल्ड डियूटी के दौरान शर्मा साहब के साथ मैं एक–दो बार इनकी डेयरी पर गया था। आज प्रातः श्री विनोद कुमार शर्मा खाद्य निरीक्षक ने मुझे फोन पर वॉटसएप कॉल कर श्री हरिसिंह से सम्पर्क कर उनसे पूर्व में तय राशि प्राप्त कर स्वयं तक पंहुचाने का कहा था। जिस पर मैंने श्री हरिसिंह से टेलीफोनिक सम्पर्क कर यहां मिलकर श्री विनोदकुमार शर्मा खाद्य निरीक्षक के कहेनुसार उनके लिए उनके द्वारा पूर्व में तय राशि 22000 रू. में से परिवादी के आग्रह पर परिवादी के सामने ही साहब से पुनः वॉट्सऐप कॉल कर पूर्व की तय राशि में से कुछ कम करने का आग्रह किया तो साहब ने 5000 रू. कम करते हुए 17000 रू. लेना का कहा, जिस पर मैंने अभी कुछ देर पहले श्री हरिसिंह से उक्त राशि प्राप्त कर गिनकर मेरे पहनी हुई जीन्स–पैण्ट के पीछे की बांयी में जेब रखे थे, जो अभी भी मेरी जेब में ही हैं। हाजिर परिवादी श्री हरिसिंह ने भी सह–आरोपी श्री विशालसिंह के उक्त तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि श्री विशालसिंह ने मुझे कहा कि श्री विनोदकुमार शर्मा ने मुझे आपके पास भेजा हैं एंव मीटिंग में व्यस्त होने से उन्होनें स्वयं को किसी भी प्रकार का कॉल करने से आपको मना किया हैं, जिस पर मैंने धन्धा मन्दा होने से पूर्व में तय राशि 22000 रू. में से कुछ कम करने का आग्रह किया तो श्री विशालसिंह ने श्री विनोदकुमार को कॉल कर मेरे से कुछ दूर जाकर बात की एंव वापस मेरे पास आकर कहा कि आप 5000 रू. कम दे दो, जिस पर मैंने फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त राशि 22000 रू. मेरी जेब से निकालकर इसमें 5000 रू. अलग कर शेष 17000 रू. विशालसिंह को दे दिए एंव 5000 रू. मेरे पास रख लिये जो अभी भी मेरे पास हैं एंव विशालसिंह ने मेरे से 17000 रू. प्राप्त कर गिनकर अपने जीन्स के पीछे की बांयी में जेब में रखे थे। जिस पर सह–आरोपी श्री विशालसिंह से आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की उपस्थिति बाबत् पूछने पर श्री विशालसिंह ने बताया कि श्री शर्मा जी अभी सीएमएचओ ऑफिस में मौजूद हैं, जिस पर परिवादी व सह–आरोपी श्री विशालसिंह को हमराह लेकर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान जरिये हमराही वाहनों के रवाना होकर तुरन्त ही सीएमएचओ कार्यालय सिरोही पंहुचे तो आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा अपने कार्यालय में उपस्थित मिला, जिनकी सह–आरोपी व परिवादी द्वारा निशांदेही की जाने पर श्री विनोदकुमार शर्मा को मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उनका परिचय पूछा तो उन्होनें अपना परिचय श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री रामकिशन शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी बोभगेडी, तहसील जानसट, जिला मुजफ्रनगर (उतरप्रदेश) हाल नया दरवाजा कक्कुवालों की पोल, करणी चौराया नागौर हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, जिला सिरोही, मोबाईल नं0 9799174892 के रूप में दिया। इस दोरान सीएमएचओ कार्यालय सिरोही में राजकीय स्टाफ व आमजन की भीड़

एकत्रित होनी प्रारंभ हो गई, जिस पर होटल एयरलाईन सिरोही पर आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा खाद्य निरीक्षक की निगरानी एंव ईशारा मिलने पर दस्तियाबी हेतु व्यस्त श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता को आरोपी के कार्यालय में मिलने से निगरानी समाप्त करने एंव सीएमएचओ कार्यालय में भीड़ एकत्रित होने से कार्यवाही बाबत् अग्रिम निर्देश हेतु निवेदन किया गया, जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मय दस्तियाब सुदा आरोपितों के नजदीक ही स्थित ए.सी.बी. कार्यालय सिरोही में पंहुच अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये। जिस पर अग्रिम कार्यवाही ए.सी.बी. कार्यालय सिरोही पंहुच करने का निर्णय लिया जाकर दस्तियाब सुदा आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा खाद्य सूरक्षा अधिकारी व सह–आरोपी श्री विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को हमराह लेकर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान के जरिये हमराही वाहनों के सीएमएचओ कार्यालय सिरोही से रवाना होकर ए.सी.बी. कार्यालय सिरोही पहुचा, इस दोरान (रास्ते में) धोवन प्रयोजनार्थ सह–आरोपी श्री विशालसिंह के दांए व बांये हाथ क्रमशः श्री विक्रमसिंह कानि. व श्री गुलाबसिंह कानि. से पकड़वाये जाकर सह–आरोपी की जेब में रखी रिश्वती राशि की सुरक्षा हेतु निर्देशित किया गया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता एसीबी कार्यालय में उपस्थित मिले, जिन्हें प्रकरण में अब तक हुई कार्यवाही से अवगत करवाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा खाद्य निरीक्षक से परिवादी श्री हरिसिंह को पहचानने, उनके पास परिवादी का कार्य पैण्डिग होने, उनके लिए परिवादी से सह–आरोपी श्री विशालसिंह द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने आदि के संबध में पूछने पर श्री विनोदकुमार शर्मा खाद्य निरीक्षक ने बताया कि हां मैं इन्हें जानता हूं, ये श्री हरिसिंह निवासी जावाल हैं जो ग्राम जावाल में "गुरूकृपा डेयरी" का संचालन करते हैं, अभी हाल ही में माह जनवरी से मार्च/2022 तक राज्य सरकार द्वारा चलाए गए "शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान के दौरान मैं व सहयोगी स्टाफ श्री विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक–दो बार ग्राम जावाल में सैम्पल लेने गये थे, तब यह दोनों बार अपनी डेयरी बन्द कर वहां से भाग गया एंव हम दूसरी जगह सैम्पल ले रहे थे कि यह हमारे पीछे–पीछे आया व कहा कि साहब मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं, तब मैंने इन्हें डांटकर भगा दिया था कि गलत काम नहीं करते हो तो सैम्पल के टाईम डेयरी बन्द करके क्यों भागते हो, तब इसने कोई जवाब नहीं दिया व सप्ताह भर पहले यह मेरी ऑफिस में आया व अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा तो मैंने इसे फिर से डांटकर भगा दिया। आज प्रातः यह बार–बार मुझे फोन कर रहा था तो मैंने मेरे सहयोगी स्टाफ श्री विशालसिंह को वॉटसएप कॉल करके कहा कि हरिसिंह को कह दो मेरे से कोई सम्पर्क नहीं करें, इसके बाद क्या हुआ, मेरी जानकारी में नहीं हैं, आप लोग आये और मुझे यहां लेकर आये हो, मैंने हरिसिंह से कोई पैसे नहीं मांगे एंव न ही मैंने श्री विशालसिंह को इससे पैसे लेने के लिए कहा था। जिस पर हाजिर परिवादी श्री हरिसिंह ने आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा के उपरोक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए बताया कि ये बिल्कुल ही झूंठ बोल रहे हैं, अभियान के दोरान ये दोनों (विनोदकुमार व विशालसिंह) तीन–चार बार मेरी डेयरी पर आये व श्री विनोदकुमार शर्मा ने डेयरी से दूध का सैम्पल लेकर इसे लेबोरेट्री से फैल कराकर मुझे जेल भिजवाने व धन्धा बन्द कराने की धमकी देकर मेरे से 22000 रू. खर्चा–पानी की मांग की, तब मैं इनसे दिनांक 06.04.2022 को इनकी ऑफिस में जाकर मिला व कहा कि मेरा बच्चा बीमार हैं मेरा ध्यान रखना, तो इन्होनें कहा कि कुछ लाये हो तो दे दो, तब मैंने कहा कि दो–चार दिन ठहरो करता हूं, तब इन्होनें कहा कि कितना कहा था, तब मैंने कहा कि आपने 22000 रू. का कहा था जो बहुत ज्यादा हैं, तो इन्होनें कहा कि बस 22000, तो ये ले आओ, तब दो–चार दिन समय लेकर मैं वहां से चला आया, एंव आज 22000 रू. की लेन–देन हेतु इनसे फोन पर बात की तो इन्होनें मुझे सिरोही की होटल ऐयरलाईन में बुलाया, मैंने दुबारा पूछा तो कहा कि सिरोही आकर बात करो, जिस पर मैंने गोयली चोराहा पंहुच दुबारा बात की कोशिश की तो इन्होनें मेरा कॉल अटेण्ड नहीं किया, इस दौरान मेरे पास इनके स्टाफ श्री विशालसिंह जो पूर्व में इनके साथ मेरी डेयरी पर आये हुए थे, जिनके नंबर मेरे पास

सेव थे, का कॉल मेरे पास आया व कहा कि साहब ने मुझे आपसे मिलने को कहा हैं तथा साहब ने स्वयं को फोन करने से आपको मना किया हैं। इनके कहने से विशालसिंह मुझे गोयली चोराहा पर मिले व कहा कि आपके व साहब के बीच क्या तय हुआ हैं, मुझे जानकारी नहीं हैं आप बताओ, जिस पर विशालसिंह को कहा कि साहब ने 22000 रू. मांगे हैं जो बहुत ज्यादा हैं, इतना धन्धा नहीं हैं, आप कुछ कम कराओ, तब विशालसिंह ने विनोदकुमार शर्मा को फोन किया व मेरे से थोडा दूर जाकर बात की व फोन कट होने पर वापस मेरे पास आकर मुझे बताया कि मेरे कहने से साहब ने 5000 रू. कम कर दिये हैं, जिस पर मैंने मेरी जेब से फिनोफ्थलीन पाउडर लगी राशि 22000 रू. निकालकर इसमें से 5000 रू. अलग कर वापस मेरी जेब में रखे व 17000 रू. विनोदकुमार शर्मा के लिए श्री विशालसिंह को दे दिये, जो इन्होनें अपने हाथों से गिनकर अपने पहनी हुई जीन्स के पीछे की बांयी जेब में रख दिए। परिवादी के उपरोक्त तथ्यों के संबध में पुनः आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा से पूछा तो यह नजरें नीचे किये हुए निरूत्तर रहे एंव कुछ समय बाद कहा कि साहब गलती हो गई, मेरा रिटायरमेण्ट नजदीक हैं, इसलिए माफ कराओ। तत्पश्चात परिवादी व आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा के रूबरू सह–आरोपी श्री विशालसिंह से पुनः पूछताछ की गई तो घबराते हुए कहा कि साहब इसमें मेरा कुछ नहीं हैं, हां यह सही हैं कि विनोदकुमार शर्मा के साथ डियूटी होने से इनके साथ हरिसिंह की डेयरी पर गया था, किन्तु मैंने इनसे कोई रिश्वत नहीं मांगी, मैंने मेरे अफसर श्री विनोदकुमार शर्मा के कहने पर इनके लिए हरिसिंह से 17000 रू. प्राप्त किये थे, जो कुछ देर बाद ऑफिस जाकर इन्हें देने वाला था, मेरा इस राशि में कोई हिस्सा नहीं हैं, मेरी नई–नई नौकरी हैं, मुझे माफ करावें। सह–आरोपी श्री विशालसिंह की उपरोक्त बात पर आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी एंव नजरें नीचे किये हुए बैठे रहे। तत्पश्चात सह–आरोपी श्री विशालसिंह के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ की जाकर एसीबी ऑफिस सिरोही में रखे पानी के कैम्पर में से साफ पीने का पानी मंगवाकर कांच की दो साफ गिलासों में भरवाकर प्रत्येक गिलास में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया अर्थात घोल रंगहीन रहा, उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में सहआरोपी श्री विशालसिंह के दांहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन हल्का गुलाबी घोल होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शिल्ड मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर इन पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल के गिलास में सहआरोपी श्री विशालसिंह के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शील्ड मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर इन पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया।

तत्पश्चात सहआरोपी श्री विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जामा तलाशी गवाह श्री विनोद कुमार से लिरवाई गयी तो उसके पहनी हुई जीन्स–पैण्ट बरंग हल्का ब्लू के पीछे की बायीं जेब में 500–500 रू. के नोटों की गड्डी पायी गई, जिसे गवाह श्री विनोद कुमार से निकलवाये जाकर गिनवाये गये तो पांच–पांच सौ के 34 नोट कुल 17000 रूपये होना पाया गया। दूसरे गवाह श्री भंवरलाल को पूर्व तैयारशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपर्दगी नोट की प्रति सुपूर्द कर उक्त राशि के नोटो का मिलान करवाया गया तो सभी नोटो के नंबर हूबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार हैं।

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	KK	826154
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	RR	909285
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2	BV	026172
4	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9	CP	863135
5	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2	AC	829429
6	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	BA	750016
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	AE	478770
8	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	LK	672251
9	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	VT	071926
10	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	PH	682575
11	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	FB	443596
12	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	PT	850875
13	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	LS	492544
14	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	LS	492545
15	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	LS	492548
16	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	LS	492549
17	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	LS	492550
18	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	CS	894444
19	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	DW	139074
20	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	DW	139075
21	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	DW	139076
22	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	DW	139081
23	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	WC	287815
24	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6	CP	235565
25	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	AC	196525
26	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	BU	914180
27	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	GG	263603

28	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	ER	067423
29	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6	FT	181304
30	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2	EN	568607
31	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	AU	419781
32	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	UA	491752
33	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	EU	954453
34	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	PD	599784

उपरोक्त राशि को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिल्ड मोहर कर बतौर वजह सबूत तहवील एसीबी लिया गया। तत्पश्चात सह आरोपी श्री विशालसिंह के वक्त वाका पहनी हुई जीन्स–पैण्ट के पीछे की बांयी जेब (रिश्वती राशि बरामदगीस्थल) का धोवन लेने के लिए इनके पहनने हेतु एक लोअर की व्यवस्था कर इन्हें पहनने हेतु देकर इनके वक्त वाका पहनी हुई जींस पेंट को उतरवाकर अवलोकन किया गया तो बरंग हल्का ब्लू जिस पर अंग्रजी में EST 2018 NEWAGED JEANS CO . लेबल लगा हुआ पाया गया, जिसके पीछे की बांयी जेब के धोवन की कार्यवाही प्रारंभ कर एक साफ गिलास में साफ पीने का पानी भरवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया, जिसे समस्त हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। सहआरोपी श्री विशालसिंह के वक्त वाका पहनी हुई जींस–पेंट की पीछे की बायीं जेब को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल के गिलास में दो–तीन बार डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर इन पर मार्क पी.–1 एवं पी.–2 अंकित कर शिल्ड मोहर किया गया। तत्पश्चात उक्त जींस–पेंट को कुछ देर तक बाहर हवा एवं धूप में सुखाकर संबधित जेब पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पेंट को एक कपडे की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर इस पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को शिल्ड मोहर कर सह–आरोपी की जीन्स–पैण्ट को बतौर वजह सबूत तहवील एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात हाजिर परिवादी श्री हरिसिंह से फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त राशि पेश करने का कहा जाने पर इन्होनें पांच सौ–पांच सौ रूपये के दस नोट, कुल पांच हजार रूपये प्रस्तुत किये। जो गवाह श्री भंवरलाल को सुपूर्द कर गिनवाये गए तो पांच सौ–पांच सौ रू. के दस नोट कुल पांच हजार रूपये होने पाये गये, दूसरे गवाह श्री विनोद कुमार को फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट की प्रति देकर परिवादी प्रस्तुत फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के नंबरों का मिलान करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हूबहू फर्द पेशकशी एवं सुपूदर्गी नोट के मुताबिक पाये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार हैं।

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	NF	202667
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0	FQ	700710
3	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	TM	237928

4	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	BB	300964
5	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	SM	588207
6	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	GK	969154
7	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	MN	768038
8	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9	FM	075290
9	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6	NV	680280
10	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6	GW	452687

उपरोक्त राशि को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवायें जाकर शिल्ड मोहर किया जाकर बतौर वजह सबूत तहवील एसीबी लिया गया। ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप सुना गया तो रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब होगी। आरोपीगण के विभागीय अधिकारी मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को इनके विरूद्ध की गई ट्रेप कार्यवाही से संबधित सूचना दी जाकर दोनों आरोपितों का कोविड–19 परीक्षण करवाकर हर दोनों आरोपितों की परीक्षण रिपोर्ट "नकारात्मक" प्राप्त की जाकर शामिल मिशल की गई। आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निवास की खाना तलाशी हेतु श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर से निवेदन किया गया। सह–आरोपी श्री विशालसिंह की कम सेवावधि व अल्प वेतन भोगी तथा संयुक्त परिवार में निवासरत होने से इसके निवास की खाना तलाशी नहीं लेने का निर्णय लिया गया। आरोपी श्री विनोदकुमार शर्मा का सिरोही में निवास होटल ऐयरलाईन रूम नं. 302 में होना व उक्त रूम की चाबी स्वयं के पास होने से उक्त चाबी कब्जा ब्यूरो ली जाकर उक्त रूम की पृथक से खाना तलाशी लिये जाने का निर्णय लिया गया। इस ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित हालात ब्यूरो के उच्च अफसरान को निवेदन किए गए। प्रकरण की बरामदगी एंव हाथ धुलाई कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वक्त 3:15 पी.एम. पर सम्पन्न हुई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई सह आरोपी श्री विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पृथक से तैयार कर संबधित के हस्ताक्षर करवाये गए।

तत्पश्चात बरामदगी/घटनास्थल निरीक्षण एवं आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा का सिरोही में निवास होटल ऐयरलाईन रूम नं. 302 की खाना तलाशी हेतु मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव परिवादी श्री हरीसिंह तथा दस्तियाब सुदा आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सूरक्षा अधिकारी मय ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड कानि.नं. 93, श्री आदूराम कानि. 142 के जरिये निजी वाहन के गोयली चौराया एवं होटल ऐयरलाईन नं. 302 , सिरोही–पाली रोड,सिरोही रवान हुआ दस्तियाब सुदा आरोपी श्री विशालसिंह की निगरानी हेतु श्री गुलाबसिंह कानि.नं. 140 मय जाब्ता को सुरक्षा हेतु पाबंध कर आवश्यक हिदायत की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री हरीसिंह की निशादेही से रूबरू मौतबिरान के घटनास्थल का मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब कर जाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, की उपस्थिति में उनके सिरोही में निवास स्थल ऐयरलाईन होटल नं.302 की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द मूर्तिब कर फर्द शामिल पत्रावली की गई। बाद कार्यवाही मय

स्वतंत्र गवाहन मय आरोपी मय परिवादी ब्यूरो जाप्ता के भ्रनिब्यूरो सिरोही की तरफ रवाना हुआ।

तत्पश्चात उपरोक्त पैरा का रवाना सुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान भ्रनिब्यूरो सिरोही पहुँचा।

तत्पश्चात रूबरू गवाहान के परिवादी श्री हरीसिंह व आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा , खाद्य सूरक्षा अधिकारी दिनांक 11.04.22 को मोबाईल नं. क्रमश 9352116565 व 9799174892 पर हुई लेन–देन पूर्व वार्ता व परिवादी श्री हरीसिंह व सह–आरोपी विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मध्य दिनांक 11.04.22 को मोबाईल नं. क्रमशः 9352116565 व 9829256896 पर हुई लेन–देन पूर्व वार्ताओ को परिवादी के माध्यम से ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई थी। उक्त रिकार्डिंग मोबाईल वार्ताओ को परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सुन सुन कर एवं समझ कर शब्द बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी जाकर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कार्यालय के लैपटाप के माध्यम से उपरोक्त वार्ताओ की दो सीडीयां तैयार करवायी गई एक सीडी को मूल मानते हुए कपडे की थैली में रखकर थैली पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिल्डमोहर किया गया तथा एक सीडी को डब मानते हुए खुली रखी गई । उक्त फर्द को शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा , सहआरोपी श्री विशालसिंह एंव स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री हरीसिंह द्वारा की गई।

तत्पश्चात रूबरू गवाहान के परिवादी श्री हरीसिंह व सह–आरोपी श्री विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मध्य दिनांक 11.04.22 को रूबरू रिश्वती राशि लेनदने वार्तालाप को परिवादी के माध्यम से ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई थी। उक्त रिकार्डिंग वार्ता को परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सुन सुन कर एवं समझ कर शब्द बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी जाकर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कार्यालय के लैपटाप के माध्यम से उपरोक्त वार्ता की दो सीडीयां तैयार करवायी गई एक सीडी को मूल मानते हुए कपडे की थैली में रखकर थैली पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिल्डमोहर किया गया तथा एक सीडी को डब मानते हुए खुली रखी गई । उक्त फर्द को शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा , सहआरोपी श्री विशालसिंह एंव स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री हरीसिंह द्वारा की गई।

तत्पश्चात आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सूरक्षा अधिकारी, को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह का गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के सहकर्मी श्री दिनेश व्यास, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , सिरोही को उनके मोबाईल नं. 9414374543 पर पृथक से दी गई।

तत्पश्चात सहआरोपी श्री विशालसिंह ,चर्तर्थ श्रेणी कर्मचारी को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह का गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना सहआरोपी के मित्र श्री कुदनसिंह निवासी पिण्डवाडा को उनके मोबाईल नं. 8952960203 पृथक से दी गई।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय, दोनों गवाहान श्री विनोद कुमार व श्री भंवरलाल परिवादी श्री हरिसिंह, ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री मोहनलाल हैड कानि0 नं. 93, श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140, श्री गोपाल कुमार कानि. नं. 537 ,श्री आदूराम कानि.नं. 142 मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री विनोद कुमार खाद्य सूरक्षा अधिकारी एवं श्री विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जरिये राजकीय वाहन आर.जे. 14 यूई 0818 एंव निजी वाहन तथा परिवादी श्री हरिसिंह के निजी वाहन के मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड एवं बरामदा रिश्वती राशि 17 हजार रूपये शिल्डबंद, परिवादी द्वारा प्रस्तुत फिनोफथलीनयुक्त पांच हजार रूपये शिल्डबंद, आरोपी श्री विशालसिंह के दोनों हाथों के अंगूलियो व अंगूठे को धोवन क्रमशः आर.एच.–1 ,आर.एच.–2 तथा एल.एच.–1 व एल.एच.–2 शिल्डशुदा तथा सहआरोपी श्री विशालसिंह के वक्त वाका पहनी हुई जींस पेंट के पीछे की बायीं जेब में रिश्वती राशि 17 हजार बरामद हुई पेंट के उक्त जेब को धोवन शिल्डशुदा मार्क पी–1 , पी–2 एवं सहआरोपी श्री विशालसिंह के वक्त वाका पहनी हुई

जींस पेंट का पैकट शिल्डशुदा मार्क–जे तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन की मूल सी.डी. शिल्डशुदा व एक डब सीडी खुली हालात में तथा रिश्वती राशि लेनदेन पूर्व वार्ताओं की एक मूल सी.डी. शिल्डशुदा व डब सीडी खुली हालात में तथा रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता की मूल सी.डी. शिल्डशुदा एंव एक डब सी.डी. खुली हालात में फर्दात के मुताबिक मालखाना आईटम आरोपीगणों के मोबाईल फोन इत्यादि तथा प्रकरण से संबधित समस्त फर्दात व दस्तावेजात तथा अन्य आवश्यक सामग्री के रवाना भ्रनिब्यूरो सिरोही से जालोर को हुआ।

तत्पश्चात उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा राजकीय अस्पताल ,जालोर पहुंचा दोनों आरोपीगणों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई । ताबाद कार्यालय भ्रनिब्यूरो जालोर में हवालात की व्यवस्था नहीं होने से उपरोक्त दोनों आरोपीगणों को पुलिस थाना कोतवाली जालोर की तरफ रवाना हुआ।

तत्पश्चात उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा पुलिस थाना कोतवाली जालोर पहुंच आरोपीगण श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सूरक्षा अधिकारी एवं श्री विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जरिए तहरीर पुलिस थाना कोतवाली जालोर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। पुलिस थाना कोतवाली से भ्रनिब्यूरो जालोर के लिए रवाना हुआ।

तत्पश्चात उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय, दोनों गवाहान श्री विनोद कुमार व श्री भंवरलाल परिवादी श्री हरिसिंह, ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री मोहनलाल हैड कानि0 नं. 93, श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140, श्री गोपाल कुमार कानि. नं. 537 ,श्री आदूराम कानि.नं. 142 के जरिये राजकीय वाहन आर.जे. 14 यूई 0818 एंव निजी वाहन तथा परिवादी श्री हरिसिंह के निजी वाहन के मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड एवं बरामदा रिश्वती राशि 17 हजार रूपये शिल्डबंद, परिवादी द्वारा प्रस्तुत फिनोफथलीनयुक्त पांच हजार रूपये शिल्डबंद, आरोपी श्री विशालसिंह के दोनों हाथों के अंगूलियो व अंगूठे को धोवन क्रमशः आर.एच.–1 ,आर.एच.–2 तथा एल. एच.–1 व एल.एच.–2 शिल्डशुदा तथा सहआरोपी श्री विशालसिंह के वक्त वाका पहनी हुई जींस पेंट के पीछे की बायीं जेब में रिश्वती राशि 17 हजार बरामद हुई पेंट के उक्त जेब को धोवन शिल्डशुदा मार्क पी–1 , पी–2 एवं सहआरोपी श्री विशालसिंह के वक्त वाका पहनी हुई जींस पेंट का पैकट शिल्डशुदा मार्क–जे तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन की मूल सी.डी. शिल्डशुदा व एक डब सीडी खुली हालात में तथा रिश्वती राशि लेनदेन पूर्व वार्ताओं की एक मूल सी.डी. शिल्डशुदा व डब सीडी खुली हालात में तथा रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता की मूल सी.डी. शिल्डशुदा एंव एक डब सी.डी. खुली हालात में फर्दात के मुताबिक मालखाना आईटम आरोपीगणों के मोबाईल फोन इत्यादि तथा प्रकरण से संबधित समस्त फर्दात व दस्तावेजात तथा अन्य आवश्यक सामग्री भ्रनिब्यूरो जालोर पहुंचे। प्रकरण से संबधित मालखाना आईटम एवं फर्दात व फर्दात के मुताबिक मोबाईल फोन , दस्तावेज एवं डिजीटल टेप रिकार्डर ,ट्रेप बाक्स इत्यादि सुरक्षा की दृष्टि से श्री मोहनलाल हैड कानि. नं 93 को सुपूर्द कर मालखाना में रखवाया जाकर ताला लगवाया गया। रात्रि अधिक होने से दोनों गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता को विश्राम करने हिदायत दी गई एवं परिवादी श्री हरीसिंह को कार्यालय हाजा में रहने की हिदायत दी जाकर कानि. कालूराम नं. 477 की रात्रि निगरानी कायम है आवश्यक हिदायत दी गई कि गवाहान , एवं ब्यूरो जाब्ता को प्रातः करीब 8.45 बजे कार्यालय हाजा में उपस्थित आने बाबत पाबंधकर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कुमार एवं श्री भंवरलाल व ब्यूरो जाब्ता कार्यालय हाजा में उपस्थित आये एवं परिवादी श्री हरीसिंह कार्यालय हाजा में उपस्थित है ।

तत्पश्चात प्रकरण हाजा में गिरफतारशुदा आरोपीगण श्री विनोद कुमार शर्मा एवं श्री विशालसिंह को पुलिस थाना कोतवाली जालोर से लाने हेतु ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड कानि. 93 , श्री आदूराम कानि. नं. 142 एवं श्री कालूराम कानि0 477 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री रणवीर मनावत कानि. ड्रां. 613 को आवश्यक हिदायत दी जाकर पुलिस थाना कोतवाली जानिब रवाना किया गया।

तत्पश्चात उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड कानि. 93 , श्री आदूराम कानि. नं. 142 एवं श्री कालूराम कानि0 477 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री रणवीर मनावत कानि. ड्रां. 613 के गिरफतारशुदा आरोपीगण श्री विनोद कुमार शर्मा एवं श्री विशालसिंह को पुलिस थाना कोतवाली जालोर से भ्रनिब्यूरो जालोर लेकर उपस्थित आये।

तत्पश्चात मालखाना से प्रकरण से संबधित समस्त मालखाना आईटम , फर्दात , दस्तावेजात एंव फर्दात मुताबिक मोबाईल फोन श्री मोहनलाल हैड कानि. नं. 93 से निकलवाये जाकर आरोपीगणों सर्वश्री

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सूरक्षा अधिकारी के वाटसऐप नंबर 9799174892 से श्री विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 9829256896 वाटसऐप नंबर मध्य दिनांक 11.04.2022 को हुई वार्ताओ से संबधित वाटसऐप कॉल डिटेल का स्क्रीन शॉट लिये जाकर उक्त स्क्रीन शॉट को कार्यालय के कम्पयुटर के माध्यम से प्रिंट निकलावायी जाकर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट करवाये गये। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सूरक्षा अधिकारी के वाटसऐप नंबर 9799174892 के मोबाईल के पासवर्ड नं 0001 है जबकि सहआरोपी श्री विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वाटसऐप नंबर 9829256896 का मोबाईल अनलॉक है

तत्पश्चात प्रकरण से संबधित फर्दात के मुताबिक मालखाना आईटम बरामदा रिश्वती राशि 17 हजार रूपये शिल्डबंद, परिवादी द्वारा प्रस्तुत फिनोफथलीनयुक्त पांच हजार रूपये शिल्डबंद, आरोपी श्री विशालसिंह के दोनों हाथों के अंगूलियो व अंगूठे का धोवन क्रमशः आर.एच.–1 ,आर.एच.–2 तथा एल.एच.–1 व एल.एच.–2 शिल्डशुदा तथा सहआरोपी श्री विशालसिंह के वक्त वाका पहनी हुई जींस पेंट के पीछे की बायीं जेब में रिश्वती राशि 17 हजार बरामद हुई पेंट के उक्त जेब का धोवन शिल्डशुदा मार्क पी–1 , पी–2 एवं सहआरोपी श्री विशालसिंह के वक्त वाका पहनी हुई जींस पेंट का पैकट शिल्डशुदा मार्क–जे तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन की मूल सी.डी. शिल्डशुदा व एक डब सीडी खुली हालात में तथा रिश्वती राशि लेनदेन पूर्व वार्ताओं की एक मूल सी.डी. शिल्डशुदा व एक डब सीडी खुली हालात में तथा रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता की मूल सी. डी. शिल्डशुदा एंव एक डब सी.डी. खुली हालात में फर्दात के मुताबिक आरोपीगणों के मोबाईल फोन इत्यादि श्री मोहनलाल हैड कानि. नं 93 को सुपूर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया जाकर हिदायत की गई कि मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि. नं. 96 जो अवकाश पर है उपस्थित आने पर उपरोक्त मालखाना आईटम सुपूर्द करें।

तत्पश्चात परिवादी श्री हरीसिंह एवं स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कुमार एवं श्री भंवरलाल को राजकार्य से फारिक कर रूखसत किया गया ।

अब तक की कार्यवाही से परिवादी श्री हरीसिंह फर्म गुरूकृपा जनरल स्टोर जावाल जिला सिरोही को उसकी डेयरी से दूध व दही के सैम्पल लेकर मिलावट की रिर्पोट कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी देकर छः माह के 22 हजार रूपये की बंधी बंधवाने की एवज में आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सूरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,सिंरोही द्वारा सह आरोपी श्री विशालसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के माध्यम से रिश्वती राशि 17 हजार रूपये बतौर रिश्वती राशि प्राप्त करना तथा उपरोक्त जुर्म अर्न्तगत धारा 7,7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन)अधिनियम , 2018 तथा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया ।

अतः आरोपीगण श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री स्व. रामकिशन शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 58 वर्ष निवासी पीतल फेक्ट्री , ताम्बी पेट्रोल पंम्प के सामने , मकान नंबर 111, झोटवाडा रोड जयपुर तहसील व जिला जयपुर हाल ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,सिरोही जिला सिरोही एवं श्री विशालसिंह पुत्र श्री मदनसिंह जाति राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी इंद्रा कॉलानी, लक्ष्मीनारायण मार्ग, पिण्डवाडा पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,सिरोही जिला सिरोही हाल जिला प्रशिक्षण केन्द्र सिरोही जिला सिरोह के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भा.दं.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय

12.4.22

(राजेन्द्रसिंह)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जालोर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं 2. श्री विशाल सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही हाल जिला प्रशिक्षण केन्द्र सिरोही जिला सिरोही के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 128/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक: 1130-35 दिनांक 12.04.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक,(अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिरोही।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।